**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1477**

**दिनांक 04.03.2020/14 फाल्गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**अवैध प्रवासियों का निर्वासन**

**1477. श्री ए॰ विजयकुमारः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या अवैध प्रवासियों को पड़ोसी देशों अर्थात् पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि में निर्वासित करने की कोई नीति है;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

**(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ऐसे देशों में अब तक कितने अवैध प्रवासियों को निर्वासित किया जा चुका है?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नित्यानंद राय )**

(क) और (ख): विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ङ) और 3(2)(ग) के अंतर्गत केंद्र सरकार को देश में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी राष्ट्रिकों को निरुद्ध (डिटेन) करने और उनके प्रत्यावर्तन की शक्तियां प्रदान की गई हैं। पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 5 के अंतर्गत केंद्र सरकार एक आदेश के द्वारा ऐसे किसी विदेशी नागरिक को भारत से बाहर निकालने का निर्देश भी दे सकती है जिसने बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में प्रवेश किया है। केंद्र सरकार की ये शक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 258(1) के तहत वर्ष 1958 से सभी राज्य सरकारों को भी सौंपी गई हैं। इसके अतिरिक्‍त, भारत के संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अंतर्गत, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को भी उपर्युक्त शक्तियों से संबंधित केंद्र सरकार के कार्यों का निर्वहन करने का निदेश दिया गया है।

**-2-**

**रा.स.अता.प्र.सं.1477 दिनांक 04.03.2020**

इसलिए, अवैध विदेशी राष्ट्रिकों/प्रवासियों का पता लगाना और उन्‍हें निर्वासित करना विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के अंतर्गत एक सतत और चलते रहने वाली साविधिक प्रक्रिया है। विदेशी राष्ट्रिकों, जिनकी नागरिकता का सत्‍यापन किया जाना है, को निर्वासन के‍ लिए प्रतीक्षा करनी होती है। उनकी नागरिकता सत्‍यापित होने तथा उन्‍हें यात्रा दस्‍तावेज जारी होने तक, ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों को राज्‍य सरकार/संघ राज्‍य क्षेत्र के प्रशासनों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा होल्डिंग/डिटेंशन सेन्‍टरों में रखा जाना होता है।

गृह मंत्रालय ने दिनांक 24.04.2014 और 01.07.2019 के पत्रों के माध्‍यम से सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को विदेशी राष्ट्रिकों के निर्वासन/प्रत्‍यावर्तन के संबंध में समेकित निर्देश जारी किए हैं।

(ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान 31 दिसम्‍बर, 2019 तक आप्रवासन ब्‍यूरो के अधिकारियों द्वारा इन देशों में निर्वासित किये गये विदेशी राष्ट्रिकों की संख्‍या से संबंधित एक विवरण संलग्‍न है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**-3-**

**रा.स.अता.प्र.सं.1477 दिनांक 04.03.2020**

अनुलग्‍नक

वर्ष 2017-19 की अवधि के दौरान विदेशी विषयक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों (एफआरआरओ) द्वारा विदेशी राष्ट्रिकों का देश-वार निर्वासन

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| देश | निर्वासित किए गए विदेशी राष्ट्रिकों की संख्‍या | | | |
|  | | **2017** | **2018** | **2019** |
| अफगानिस्तान | | 72 | 33 | 142 |
| बांग्लादेश | | 51 | 445 | 299 |
| म्यांमार | | 7 | 38 | 16 |
| पाकिस्तान | | 1 | 0 | 5 |
| **कुल** | | **131** | **516** | **462** |

\*\*\*\*\*\*